

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 96/2023

दायर दिनांक 14.08.2023

उनवान

1. बीरमलाल पि. भेरूलाल जाति मेघवाल नि.रूपारेल तहसील रायपुर

- वादी

बनाम

1. नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि.रूपारेल तहसील रायपुर

2. शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि. कोचरियाखेडी तह.पचपहाड़

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक-

अभिभाषक वादी - श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादी सं. 1 से 2 - एकतरफा

निर्णय

दिनांक 13.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रूपारेल प.म. बानोर तहसील रायपुर खाता संख्या 151 के खसरा नं. 21 रकबा 0.9105 हे०, खसरा नं. 22 रकबा 0.2276 हे०. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.1381 हे० के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को, दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/867 दिनांक 11.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)




अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रुपारेल म. म. बानोर तहसील रायपुर खाता संख्या 151 के खसरा नं. 21 रकबा 0.9105 हे०, खसरा नं. 22 रकबा 0.2276 हे०, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.1381 हे० भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख०न०	रकबा है.	दिशा
1	बीरमलाल पि. शेरूलाल जाति मेघवाल नि.रूपारेल रहन SBI झालावाड	21	0.4805	दक्षिण
		22	0.0253	उत्तर
		कित्ता 2	0.5058	
2	नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रूपारेल रहन AXIS झालावाड	21	0.4300	उत्तर
3	शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि. कोचरियाखेडी तह. पचपहाड	22	0.2023	दक्षिण

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करें।  
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार शीणा,आरएएस)  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज०  
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)



फाईनल डिक्री मुकदमा इन्दादाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 96 / 2023

दायर दिनांक 14.08.2023

उनवान

1. बीरमलाल पि. भेरूलाल जाति मेघवाल नि.रूपारेल तहसील रायपुर

– वादी

वनाम

1. नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि.रूपारेल तहसील रायपुर

2. शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि. कोचरियाखेडी तह.पचपहाड़

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादी – श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादी सं. 1 से 2 – एकतरफा

मिनजानित मुदई रुबरु .....X.....मिनजाबिन  
मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रूपारेल प.म. बानोर तहसील रायपुर खाता संख्या 151 के खसरा नं. 21 रकबा 0.9105 हे०, खसरा नं. 22 रकबा 0.2276 हे०. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.1381 हे० भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।



क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	बीरमलाल पि. भेरूलाल जाति	21	0.4805	दक्षिण
	मेघवाल नि.रूपारेल रहन SBI झालावाड़	22	0.0253	उत्तर
		कित्ता 2	0.5058	

उपखण्ड अधिकारी

दिनेश कुमार मीणा



2	नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रुपारेल रहन AXIS झालावाड	21	0.4300	उत्तर
3	शंकरलाल पि. मागीलाल जाति बागरी नि. कोचरियाखेडी तह. पंचपहाड	22	0.2023	दक्षिण

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दर्शाने करें।

*[Signature]*

(दिनेश कुमार शीमा, आर.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)

निज \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_मुबालिक \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_ बाबत खर्चा इस मुकदमे को सुद बरकारह \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदागमी तक \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_ अदा करेगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.08.2025 को जारी किया गया।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अजी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अजी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प बकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अजी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प बजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
निजान			मिजान



*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा  
जिला झालावाड (राज.)